भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *142

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

राशन वितरण में समस्याएं

***142 सुश्री इकरा चौधरी:**

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) मशीनों के सर्वर में निरंतर खराबी/अवरोध और बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्ग एवं दिव्यांग लाभार्थी अपने राशन के अधिकार से वंचित हो रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्तर की पोर्टेबिलिटी के दावों के बावजूद, अंतर-राज्यीय प्रवासी लाभार्थियों को अन्य राज्यों में राशन की दरों और खाद्यान्न के चयन (गेहूँ बनाम चावल) के संबंध में गंभीर विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों द्वारा स्टॉक की कमी का बहाना बनाकर पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत प्रवासी लाभार्थियों को राशन देने से मना करने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए कोई स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार, उन क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की निरंतर समस्या बनी रहती है, ऑफ-लाइन मोड में राशन के वितरण को अनुमति देने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *142 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): इस विभाग को ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कई तरह की प्रमाणीकरण सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें सिंगल फिंगर, फ्यूजन फिंगर, आईआरआईएस और आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण शामिल हैं।

अगर परिवार के किसी सदस्य का प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो राशन कार्ड से जुड़े परिवार के दूसरे पात्र सदस्य प्रमाणीकरण करके खाद्यान्न ले सकते हैं। इसके अलावा, विशेष मामलों में नामिती (नॉमिनी) की सुविधा भी दी गई है, जिससे लाभार्थी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह राशन लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग से जुड़ी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के बायोमेट्रिक्स ठीक न होने की वजह से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को खाद्यान्न का उनकी पात्रता का कोटा प्राप्त करने से वंचित न किया जाए।

इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि पात्र लाभार्थी अपनी पात्रता से वंचित न रहें।

(ख): 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न के मूल्यों या उनकी उपलब्धता में अनियमितताओं का कोई भी मामला इस विभाग को नहीं मिला है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) के तहत, सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान वितरित किया जाता है, जिनमें ओएनओआरसी पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न लेने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। लाभार्थी अपनी पात्रता (एएवाई/पीएचएच) के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य की सभी उचित दर दुकानों (एसपीएस) पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टेबिलिटी स्कीम के तहत अनाज के वितरण में मदद के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त अग्रिम आवंटन किया जाता है। इसलिए, आवंटन की कमी के कारण प्रवासी लाभार्थियों को राशन न मिलने का कोई भी मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद आपूर्ति विभाग ने खाद्यान्न वितरण से जुड़ी शिकायतों की जांच और समाधान के लिए एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

इस विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य पहलों में शामिल हैं:

.....2/-

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800-सीरीज़ की टोल-फ्री हेल्पलाइन की सर्वव्यापी सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) 'अन्न सहायता' की शुरुआत, जो एआई-आधारित व्हाटसएप और आईवीआरएस पर चलने वाली शिकायतों के समाधान की एक आधुनिक प्रणाली है। इसके ज़रिए लाभार्थी अपनी भाषा में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

(iii) 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप, जिससे लाभार्थी अपनी पात्रता, सदस्यों और जनसांख्यिकीय जानकारी, पिछले माह के वितरण की स्थिति और नज़दीकी एफपीएस (उचित दर दुकान) की स्थिति देख सकते हैं, साथ ही सीधे ऐप के ज़रिए शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं।

(घ): पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का वितरण ई-पीओएस उपकरण के माध्यम से किया जाता है ताकि पारदर्शी और प्रमाणित वितरण सुनिश्चित हो सके। ई-पीओएस उपकरण में सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी ऑफ़लाइन पद्धति में काम करने की सुविधा होती है। ऑफ़लाइन ई-पीओएस डाटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ सिंक करने के लिए ई-पीओएस उपकरण को समय-समय पर नेटवर्क एरिया में लाना ज़रूरी होता है।
